

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक-एफ.6(758)स्टोर/बैज/ICDS/2017-18/13971-4003

जयपुर, दिनांक: 19-1-18

समस्त उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को बैज उपलब्ध कराने बाबत।

सन्दर्भ:- समसंख्यक पत्रांक 116473-505 दिनांक 28.07.2017 एवं पत्रांक 170947-979, दिनांक 07.11.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मेटेलिक नेम बैज उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। बैज हेतु प्रत्येक आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिए 25/- प्रति बैज के निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार बजट राशि का आवंटन किया गया है। आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को बैज उपलब्ध कराये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं:-

1. भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्रत्येक कार्यरत आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका प्रत्येक को बैज उपलब्ध कराने हेतु प्रति बैज 25/- के हिसाब से जिलेवार बजट आवंटित किया गया है।
2. बैज क्रय हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012) एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 (The Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013) के प्रावधानानुसार समुचित निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए उपापन की कार्यवाही करें।
3. आपके जिले में कार्यरत समस्त आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को निर्देशित करें कि वे आंगनबाड़ी केन्द्र पर केन्द्र संचालन के दौरान बैज का उपयोग यूनिफॉर्म के साथ किया जाना सुनिश्चित करें।
4. आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को बैज उपलब्ध कराने के पश्चात् निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 31-12-2017 तक निदेशालय में आवश्यक रूप से भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया था। परन्तु आज दिनांक तक आप द्वारा निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त के 10 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(रामावतार मीना)

प्रभारी अधिकारी (मण्डार)

समेकित बाल विकास सेवाएं

राजस्थान, जयपुर।

जयपुर, दिनांक:

क्रमांक-एफ.6(758)स्टोर/बैज/ICDS/2017-18/

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय
3. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी
4. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।

(रामावतार मीना)

प्रभारी अधिकारी (मण्डार)

समेकित बाल विकास सेवाएं

राजस्थान, जयपुर।